उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्याः-18/2019/511/80-1-2019-600(26)/2018
लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से मण्डी क्षेत्र ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रधान मण्डी स्थल ललितपुर के सम्बन्ध में नीचे अनुसूची “क” में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के थोक सौदे नीचे अनुसूची “ख” में विनिर्दिष्ट स्थल पर ही किये जायेंगेः-

अनुसूची -”क”

1.गेहूँ, 2.जौ, 3.ज्वार, 4.चना, 5.मटर, 6.अरहर, 7.उर्द 8.मूंग, 9.मसूर, 10.लोबिया (बीज), 11.सभी प्रकार की सरसों तथा लाही (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित है।), 12.मूंगफली, 13.तिल, 14.महुआ की गुठली, 15.गुल्लू, 16.महुआ का फूल (सूखा), 17-आलू, 18-प्याज, 19-लहसुन, 20-अरवी, 21-अदरक(हरी), 22-मिर्च, 23-टमाटर, 24-बन्दगोभी, फूलगोभी, 25-गाजर, 26-मूली, 27-बैगन, 28-टिण्डा, 29-लौकी, 30-हरी मटर, 31-परवल, 32-कटहल(कच्चा), 33-ककड़ी-खीरा, 34-पेठा, 35-भिण्डी, 36-कद्दू, 37-करेला, 38-तरोई, 39-शकरकन्द, 40-लोबिया(हरी), 41-जिमीकन्द, 42-कुन्दरू, 43-ब्रोकली, 44-चिकोरी, 45-जीरा, 46-सौंफ, 47-सुपारी, 48-नींबू, 49-नारंगी, 50-मुसम्मी, 51-माल्टा, 52-केला, 53-अनार, 54-खरबूजा, 55-तरबूज, 56-पपीता, 57-सेब, 58-अमरूद, 59-बेर, 60-आंवला, 61-लीची, 62-चीकू, 63-आड़ू, 64-लोकाट, 65-आम, 66-कटहल(पक्का), 67-खुबानी, 68-नाशपाती व नाख, 69-किन्नू, 70-अंगूर।

अनुसूची -”ख”

विकास खण्ड जखौरा (जिला ललितपुर) के राजस्व ग्राम अमरपुर की ग्राम पंचायत-महर्रा का सीमाबद्ध क्षेत्र निम्नानुसार हैः-

पूरब- चीरा पुरवा।

पश्चिम- ललितपुर-झाँसी राजमार्ग।

उत्तर- चीरा पुरवा।

दक्षिण- विक्रेता वही0एच0एम0एस0प्रा0लिमि0 की जमीन।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-18/2019/ 511(1)/80-1-2019 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ। कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, ललितपुर।
4. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।